

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी- श्री श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

मु. 21/19

गणपतराम बनाम गंगाराम आदि

1 गणपतराम पुत्र तुलछाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु राज.

प्रार्थी

बनाम

- 1 गंगाराम पुत्र किशनाराम जाति जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु राज.
- 2 श्रीमती गुडी पुत्री पेमाराम पत्नी गणेशाराम वल्द नरसाराम गुरिया जाति कुम्हार निवासीनी ग्राम मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
- 3 छगनी पुत्री पेमाराम पत्नी नेमाराम पुत्र नरसाराम गुरिया जाति कुम्हार निवासी ग्राम मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
- 4 निरमा पुत्री किशाराम पत्नी खिराजाराम वल्द जेठाराम नागा जाति कुम्हार नागा निवासीनी ग्राम बाधनू तहसील नोखा जिला बीकानेर
- 5 पारु देवी पत्नी पेमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु राज.
- 6 भगवानाराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु राज.
- 7 रूघाराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु राज.
- 8 रतनाराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु राज.
- 9 रामेश्वरी पुत्री पेमाराम पत्नी केशुराम वल्द चुनाराम जाति कुम्हार मंगलाव निवासीनी ग्राम सुरधणा तहसील व जिला बीकानेर
- 10 रामी पत्नी किसनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु राज.
- 11 लालाराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु राज.
- 12 शंकरलाल पुत्र किसनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु राज.
- 13 शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा सुजानगढ़ जिला चूरु
- 14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर चूरु राज.

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का सीमा कायम कर पत्थर गढ़ी करवाने बाबत।

उपस्थित :-


- 1 प्रार्थी - श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
- 2 अप्रार्थी स. 1 ता 12 श्री मनोज गोदारा एडवोकेट
- 3 प्रतिवादी - पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक :- 28/05/2022

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1015/207 रकबा 0.5691 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 206 रकबा 3.8571 हैक्टेयर बा. दोयम रोही ग्राम जोगलसर में स्थित है प्रार्थी के उपरोक्त खसरा नम्बरान् के पूर्वी तरफ चिपता खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1014/207 रकबा 7.6257 हैक्टेयर (30-03 बीघा) वाके रोही ग्राम जोगलसर में अप्रार्थी सख्या 1 ता 12 के खातेदारी में दर्ज है प्रार्थी के पूर्वी तरफ के खातेदार अप्रार्थीगण प्रार्थी की सींव को काट कर हर वर्ष धीरे धीरे प्रार्थी के खेत की काफी भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है प्रार्थी द्वारा अपने पड़ौसी खातेदार अप्रार्थी सख्या 1 ता 12 को इस प्रकार भूमि नहीं दबाने बाबत, अतिक्रमण नहीं करने बाबत निवेदन किया गया लेकिन अप्रार्थीगण अपने कृत्य से बाज नहीं आये। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1015/207 रकबा 0.5691 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 206 रकबा 3.8571 हैक्टेयर की प्रार्थी द्वारा सीमांकन करवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार बीदासर के समक्ष दिनांक 19-2-2019 को प्रस्तुत किया एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरान् का सीमाज्ञान दिनांक 2-3-2019 को किया जाकर श्रीमान तहसीलदार को फर्द मौका पैमाईश रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई। मुताबिक फर्द मौका रिपोर्ट प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 206 मौके पर रेकार्डेड नाप से कम है। रेकार्डे गट्टा नाप के मुताबिक प्रार्थी के खेत की दिखणादी सींव अगूण-आथूण रेकार्डेड 62 गट्टा की बजाय 60.50 गट्टा होने के कारण मौके पर 1.50 गट्टा कम है तथा खसरा नम्बर 1015/207 रकबा 0.5691 हैक्टेयर (2-05बीघा) की सीमा अप्रार्थीगण द्वारा खुर्द बुर्द कर देने के कारण प्रार्थी के उक्त खसरे का नाप नहीं किया जा सका। इस बाबत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी पड़ौसीयान् से इलतजा करने के बावजूद भी अप्रार्थीगण सींव बताने के लिए तैयार नहीं हुए और सींव कायम करने से मना कर लिया। प्रार्थी का खेत सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं वर्तमान हालात मौका मुताबिक खसरा नम्बर 206 मौके पर रेकार्डेड रकबा से कम होने तथा खसरा नम्बर 1015/207 की सींव तय नहीं करने देने के बावजूद हर वर्ष इन गर्मीयों के मौसम में तथा प्रार्थी के मौके पर नहीं रहने के दौरान खेत की बचि हुई चिन्ह नुमा सीवें खुर्द बुर्द

लगातार...3 पर

  
उपस्थित अधिकारी  
बीदासर




अतिक्रमण कर रहे हैं। प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 206 रकबा 3.8571 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1015/207 रकबा 0.5691 हैक्टेयर वाके रोही जोगलसर की भूमि के सीमा विवाद को समाप्त करवाने के लिए सीमा चिन्हित करवा कर पत्थर गढ़ी हमेशा के लिए सीमा विवाद को समाप्त करवाना चाहता है तथा सीमा पर पत्थरगढ़ी का जो भी सरकारी शुल्क होगा वह राजकोष में जमा करवाने के लिए तत्पर है। आदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि मुझ प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 206 रकबा 3.8571 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1015/207 रकबा 0.5691 हैक्टेयर वाके रोही जोगलसर तहसील बीदासर का उभय पक्षकारान् के समक्ष सीमा ज्ञान करवा कर सरकार द्वारा राजस्व रेकार्ड में चिन्हित सीमा को राजस्व रेकार्ड के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाने के आदेश अप्रार्थी सख्या 14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर को फरमाया जावे, नियमानुसार जो भी शुल्क होगा वोह प्रार्थी वहन करने के लिए तैयार है आदि अनुतोष चाहा।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 ता 12 की और से श्री मनोज गोदारा एडवोकेट ने जवाब प्रार्थना पत्र मय अतिरिक्त कथन प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त कथन का जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी सख्या 13, 14 की तलबी हो चुकी है जवाब नहीं, जवाब बन्द किया गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। बहस अन्तिम सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य दर्शित करवाते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने पड़ौसी खातेदार अप्रार्थी सख्या 1 ता 12 को इस प्रकार भूमि नहीं दबाने बाबत, अतिक्रमण नहीं करने बाबत निवेदन किया गया लेकिन अप्रार्थीगण अपने कृत्य से बाज नहीं आये। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1015/207 रकबा 0.5691 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 206 रकबा 3.8571 हैक्टेयर की प्रार्थी द्वारा सीमांकन करवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार बीदासर के समक्ष दिनांक 19-2-2019 को प्रस्तुत किया एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरान् का सीमाज्ञान दिनांक 2-3-2019 को किया जाकर श्रीमान तहसीलदार को फर्द मौका पैमाईश रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई। मुताबिक फर्द मौका रिपोर्ट प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 206 मौके पर रेकार्डेड नाप से कम है। रेकार्डेड गठ्ठा नाप के मुताबिक प्रार्थी के खेत की दिखणादी सीव अगूण-आथूण रेकार्डेड 62 गठ्ठा की बजाय 60.50 गठ्ठा होने के कारण मौके पर 1.50 गठ्ठा कम है तथा खसरा नम्बर 1015/207 रकबा 0.5691 हैक्टेयर (2-05बीघा) की सीमा अप्रार्थीगण द्वारा खुर्द बुर्द कर देने के कारण प्रार्थी के उक्त खसरे का नाप नहीं किया जा सका। इस बाबत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी पड़ौसीयान् से इल्तजा करने के बावजूद भी अप्रार्थीगण सीव बताने के लिए तैयार नहीं हुए और सीव कायम करने से मना कर लिया। प्रार्थी का खेत सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं वर्तमान हालात

लगातार...4 पर



  
उपस्थित अधिकारी  
बीदासर

का मुताबिक खसरा नम्बर 206 मौके पर रेकार्डेड रकबा से कम होने तथा खसरा नम्बर 1015/207 की सींव तय नहीं करने देने के बावजूद हर वर्ष इन गर्मीयों के मौसम में तथा प्रार्थी के मौके पर नहीं रहने के दौरान खेत की बचि हुई चिन्ह नुमा सीवें खुर्द बुर्द कर अतिक्रमण कर रहे है। प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 206 रकबा 3.8571 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1015/207 रकबा 0.5691 हैक्टेयर वाके रोही जोगलसर की भूमि के सीमा विवाद को समाप्त करवाने के लिए सीमा चिन्हित करवा कर पत्थर गढ़ी हमेशा के लिए सीमा विवाद को समाप्त करवाना चाहता है। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी स. 1ता 12 ने जाहिर किया की अप्रार्थीगण का खेत प्रार्थी के खेत के चिपता नहीं है। वकील प्रार्थी ने जवाब बहस में निवेदन किया की विवादित खेत अप्रार्थीगण के पश्चिमी तरफ स्थित है।


उपरोक्त विवेचन से साबित होता है कि प्रार्थी का वादगत खेत खसरा नम्बर 206 मौके पर रेकोर्डेड नाप से कम है रेकार्डेड गट्टा नाप के मुताबिक प्रार्थी के खेत की दक्षिणी सींव पूर्वी-पश्चिमी रेकोर्डेड 62 गट्टा की बजाय 60.50 गट्टा होने के कारण मौके पर 1.50 गट्टा कम है।

— आदेश —

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सख्या 14 को आदेशित किया जाता है नियमानुसार शुल्क ली जाकर प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 206 रकबा 3.8571 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1015/207 रकबा 0.5691 हैक्टेयर वाके रोही जोगलसर तहसील बीदासर का उभय पक्षकारान् के समक्ष सीमा ज्ञान करवा कर राजस्व रेकार्ड में चिन्हित सीमा का राजस्व रेकार्ड के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाये व अप्रार्थीगण के कब्जा में चली आ रही भूमि पर कब्जा प्रार्थी का कायम करवा कर पत्थरगढ़ी करवा कर पालना रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 28/4/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
उपखंड अधिकारी  
बीदासर